[भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारतसरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 46/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

नई दिल्ली, 14 नवंबर, 2017

सा.का.नि......(अ).- केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उपधारा (5) तथा धारा 16 की उपधारा (1) के साथ पठित संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप धारा (1), धारा 8 की उप धारा (1), तथा धारा 21 के खंड (iv), एवं खंड (v) में प्रदत्त् शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों पर एवं यह आश्वस्त् होने पर कि ऐसा करना लोक हित में जरूरी है; भारत सरकार, वित्त् मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017 संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017 जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, खंड II, भाग 3, उप भाग (I) में सा.का.नि. संख्या 702 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 को प्रकाशित हुआ है, में निम्न्न संशोधन करती है :-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, -

(i) क्रम सं. 3 के समक्ष, मद (vi) में, कॉलम (3) में शब्द ''की गई हो'' के स्थान पर ''की गई केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के उपवाक्य (119) में यथा परिभाषित निर्माण अनुबंध की संयुक्त आपूर्ति हो'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम सं. 7 के समक्ष,-

(क) कॉलम (3) की मद सं. (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(i) ऐसी वस्तुओं की किसी सेवा के रूप में या उसके हिस्से के रूप में, या अन्य किसी भी प्रकार से की जाने वाली आपूर्ति जो कि खाद्य पदार्थ या अन्य किसी वस्तु के रूप में हों, जिसका कि मानव के द्वारा उपभोग किया जाता हो या जो पेय के रूप में हो, जहांकि ऐसी आपूर्ति या सेवा नकद, आस्थगित भुगतान या मूल्यवान प्रतिफल के एवज में हो,	2.5	बशर्ते सेवा की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है । (कृपया

और जिसे किसी रेस्तरां, इटिंग ज्वान्ट, द्वारा की गई हो जिसमें मेस, और कैन्टीन भी आते हैं, चाहे जहां ऐसे खाद्य पदार्थ या अन्य वस्तु जिसका कि मानव के द्वारा उपभोग किया जाता है, या पेय पदार्थ को उसी परिसर में या उस परिसर के बाहर उपभोग करने के लिये, उपलबध कराया जाता है, जो कि उनसे भिन्न हैं जो किसी होटल, सराय, गैस्ट हाउस, क्लब्स, संयुक्त या अन्य प्रकार के वाणिज्यिक स्थानों के परिसर में अवस्थित हैं जिनका प्रयोग आवासीय या ठहरने के उद्देश्य के लिए किया जाता हो तथा जिनके किसी आवासीय इकाई का घोषित टैरिफ प्रति ईकाई सात हजार पाचं सौ रूपये और इससे अधिक हो या समकक्ष । *स्पष्टीकरण.-* "घोषित टैरिफ" के अंतर्गत आवास (ठहरने के लिए किराए पर दिया गया) की यूनिट में उपलब्ध कराई गई सभी सुख-सुविधाओं, जैसे फर्नीचर, वातानुकूलक, रेफ्रिजिरेटर या कोई अन्य सुख-सुविधाएं, के लिए प्रभार आते हैं किन्तु ऐसी यूनिट के लिए प्रकाशित प्रभारों पर प्रस्थापित किसी मितिकाटा को अपवर्जित किए बिना ।		स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)";

(ख) कॉलम (3) की मद सं. (iii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(iii) ऐसी वस्तुओं की किसी सेवा के रूप में या उसके हिस्से के रूप में, या अन्य किसी भी प्रकार से की जाने वाली आपूर्ति जो कि खाद्य पदार्थ या अन्य किसी वस्तु के रूप में हों, जिसका कि मानव के द्वारा उपभोग किया जाता हो या	9	-";

जो पेय के रूप में हो, जहांकि ऐसी आपूर्ति या सेवा नकद, आस्थगित भुगतान या मूल्यवान प्रतिफल के एवज में हो, और जिसे किसी रेस्तरां, इटिंग ज्वान्ट, द्वारा की गई हो जिसमें मेस, और कैन्टीन भी आते हैं, चाहे जहां ऐसे खाद्य पदार्थ या अन्य वस्तु जिसका कि मानव के द्वारा उपभोग किया जाता है, या पेय पदार्थ को उसी परिसर में या उस परिसर के बाहर उपभोग करने के लिये, उपलबध कराया जाता है, जो कि किसी होटल, सराय, गैस्ट हाउस, क्लब्स, संयुक्त या अन्य प्रकार के वाणिज्यिक स्थानों के परिसर में अवस्थित हैं जिनका प्रयोग आवासीय या ठहरने के उद्देश्य के लिए किया जाता हो तथा जिनके किसी आवासीय इकाई का घोषित टैरिफ प्रति ईकाई सात हजार पाचं सौ रूपये और इससे अधिक हो या समकक्ष । *स्पष्टीकरण.-* "घोषित टैरिफ" के अंतर्गत आवास (ठहरने के लिए किराए पर दिया गया) की यूनिट में उपलब्ध कराई गई सभी सुख-सुविधाओं, जैसे फर्नीचर, वातानुकूलक, रेफ्रिजिरेटर या कोई अन्य सुख-सुविधाएं, के लिए प्रभार आते हैं किन्तु ऐसी यूनिट के लिए प्रकाशित प्रभारों पर प्रस्थापित किसी मितिकाटा को अपवर्जित किए बिना ।		

(ग) कॉलम (3) की मद सं. (iv) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, को निरसित कर दिया जाएगा;

(घ) मद (ix) में, कालम (3) में दी गई प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा: -

"(ix) आवास , भोजन ओर पेय सुविधाएं जो कि उपर्युक्त (ii), (iii), (v), (vi), (vii) और (viii) से भिन्न हों ।

स्पष्टीकरण.- किसी भी प्रकार के संदेह के समाधान के लिए एतत द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी वस्तुओं की किसी सेवा के रूप में या उसके हिस्से के रूप में, या अन्य किसी

भी प्रकार से की जाने वाली आपूर्ति जो कि खाद्य पदार्थ या अन्य किसी वस्तु के रूप में हों, जिसका कि मानव के द्वारा उपभोग किया जाता हो या जो पेय के रूप में हो, जहांकि ऐसी आपूर्ति या सेवा नकद, आस्थगित भुगतान या मूल्यवान प्रतिफल के एवज में हो, और जिसे किसी रेस्तरां, इटिंग ज्वान्ट, द्वारा की गई हो जिसमें मेस, और कैन्टीन भी आते हैं, चाहे जहां ऐसे खाद्य पदार्थ या अन्य वस्तु जिसका कि मानव के द्वारा उपभोग किया जाता है, या पेय पदार्थ को उसी परिसर में या उस परिसर के बाहर उपभोग करने के लिये, उपलबध कराया जाता है, जो कि उनसे भिन्न हैं जो किसी होटल, सराय, गैस्ट हाउस, क्लब्स, संयुक्त या अन्य प्रकार के वाणिज्यिक स्थानों के परिसर में अवस्थित हैं जिनका प्रयोग आवासीय या ठहरने के उद्देश्य के लिए किया जाता हो तथा जिनके किसी आवासीय इकाई का घोषित टैरिफ प्रति ईकाई सात हजार पाचं सौ रूपये और इससे अधिक हो या समकक्ष पर उपर्युक्त मद (i) के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना 2.5 प्रतिशत की दर से संघ राज्यक्षेत्र कर लगाया जाएगा न कि उस दर से जो कि इस प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है ।"

(iii) क्रम सं. 26 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (i) में, उप-मद (ज) के पश्चात निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा-

"(झ) हस्तशिल्प वस्तुओं का विनिर्माण;

स्पष्टीकरण- ''हस्तशिल्प वस्तुओं'' का अभिप्राय वही होगा जो इसके लिए अधिसूचना सं. 32/2017-केंद्रीय कर, दिनांक 15 सितंबर 2017, जिसे सा.का.नि. 1158(अ), दिनांक 15 सितंबर 2017 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण के, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, समय-समय पर यथा-संशोधित, में दिया गया है।''

2. यह अधिसूचना 15 नवंबर, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं.354/173/2017 -टीआरयू]

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, **भारत सरकार**

नोट: - प्रधान अधिसूचना सा.का.नि. संख्या 702 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत अधिसूचना सं0. 11/2017 - संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई और सा.का.नि. संख्या 1279(अ), दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 के तहत अधिसूचना संख्या 24/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा इसमें अंतिम संशोधन किया गया था ।